


6/05/2026

पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील अनुपस्थित। वादी व वादी वकील को उपस्थित हेतु बार-बार रूक रूक कर आवाज लगवाई जाने के उपरान्त भी वादी व वादी वकील की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
पूर्व एवं वाप्य अधिकारी
विभाग